गुरप्रीत सिंह

बनाम

स्टेट आफ पंजाब

9 नवंबर, 2005

बी-एन- अग्रवाल एंड ए-के- माथुर

दण्ड संहिता 1860& धारा 302 सपठित धारा मृत्यु का कारण& धारा 302 के तहत आरोप तय किया गया अभियोजन चश्मदीद गवाहों का विवरण&चिकित्सकीय साक्ष्य द्वारा पुष्टि प्रतिरक्षा अविश्वसनीय घातक चोट के लिए विशेष रूप से अभियुक्त को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया और एक को अधीनस्थ निचली अदालत द्वारा दोषमुक्त बरी किया गया। अपील में अभिनिर्धारित किया गयाः अभियोजन का मामल संदेह से परे साबित हुआ। मामले के तथ्य साबित करते हैं कि अभियुक्त का इरादा सामान्य था इसलिए धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत दोषसिद्ध।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 154 पंजाब पुलिस नियम संस्करण खण्ड 1959 नियम 24 संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट के सार की प्रविष्टि की आवश्यकता- प्रत्यक्षदर्शी चक्षुदर्शी गवाहों के नाम दैनिक डायरी और मुर्दाघर रजिस्टर में दर्ज नहीं किये गये हालांकि उनके नाम प्राथमिकी में पाये गये

अभिनिर्धारितः इस तरह नाम का खुलासा नहीं करना प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। इसलिए यह अभियोजन मामले को प्रभावित नहीं कर सकता।

किशोर न्याय अधिनियम 1986& धारा 2¼एच½ दोषसिद्ध अंतर्गत धारा 302 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता& प्रार्थना कि अभियुक्त अपराध करने की तारीख को नाबालिग था& याचिका] प्रार्थना न्यायालय के समक्ष नहीं उठाई गई& अभिनिर्धारितः अभियुक्त की आयु ¼उक्त½ सुनिश्चित करने के लिए। विचारण न्यायालय से घटना के समय उसकी उम्र के बारे में रिपोर्ट मांगी जाती है।

अपीलार्थी अभियुक्त 'जी और 'एम' के साथ दो अन्य पर एक व्यक्ति की मृत्यु के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप लगाया गया। अभियोजन मामला इस प्रकार था कि अपीलार्थीगण ने दो अभियुक्तगण के साथ मिलकर 'कृपाण' से लैस मृतक से सामना किया और उसे कई चोटें पहुंचाई जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अभियोजन मामले को चिकित्सकीय साक्ष्य से समर्थित किया गया था। पी.ड. 2 और पी.ड. 3 घटना के चक्षुदर्शी गवाह थे। अभियुक्त का बचाव यह था कि मृतक द्वारा अपीलार्थी&अभियुक्त 'जी पर हमला किया था जिसके परिणामस्वरूप उसे चोटें आई और उसके 11 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक पर हमला ग्रामीणों द्वारा किया गया था जो बचाव के लिए शोर

मचाने वहां पर एकत्र हुए उन्होंने 11 दिन बाद इस आशय की शिकायत दर्ज कराई थी। मुकदमें के दौरान एक अभियुक्त की मृत्यु हो गयी। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों अभियुक्तगण को दोषी ठहराया और एक अभियुक्त को बरी कर दिया। उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की अपील भी खारिज कर दी गयी।

इस न्यायालय में अपील करते हुए, अपीलार्थी-अभियुक्तगण ने तर्क दिया कि चक्षुदर्शी/प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य विश्वसनीय नहीं थे क्योंकि मुर्दाघर रजिस्टर और दैनिक डायरी में उनके नाम का खुलासा नहीं किया गया था जो धारा 154 दण्ड़ प्रक्रिया संहिता एवं पंजाब पुलिस नियम खण्ड 1959 संस्करण का उल्लंघन है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति मजिस्ट्रेट को भेजने में अत्यधिक देरी हुई थी। अपीलार्थीयो को भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्व करना अनुचित था क्योंकि कोई सबूत (साक्ष्य) नही था कि दोनो अपीलार्थीयो में से किसी ने घातक चोट पहुँचाई और उनकी दोषसिद्वि को धारा 302 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में परिवर्तत नही किया जा सकता। इस न्यायालय द्वारा भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत कोई आरोप विरचित नहीं किया था और अपीलार्थीयों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है।

अपीलार्थी अभियुक्त 'एम' ने भी यह तर्क दिया कि कथित घटना की दिनांक तारीख को वह किशोर न्याय अधिनियम 1986 के अर्थ में एक किशोर था 1986 की उस तारीख तक उसकी आयु 16 वर्ष नहीं हुई थी।

अपीलार्थी 'जी की अपील को खारिज करते हुए विचारण न्यायालय से रिपोर्ट की प्रतीक्षा में अपीलार्थी 'एम' के मामले को स्थगित कर दिया।

अभिनिर्धारित- 1.1 अभियोजन पक्ष मामल को उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित करने में सफल रहा है और धारा 302 भारतीय दण्ड़ संहिता तहत परिवर्तन किया जा सकता है घातक चोट के लिये उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वर्तमान मामले में यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित था क्योंकि केवल धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत कोई आरोज विरचित नहीं किया गया था। दो चक्षुदर्शी साक्ष्य पी डबल्यू 2 और पी डबल्यू 3 के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त व्यक्ति का पीड़ित व्यक्ति से की मृत्यु कारित करने का सामान्य ईरादा था। अभियुक्त व्यक्ति अपने बचाव में किसी भी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रस्त नही थे] इसके अलावा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत उनकी जांच में अपीलार्थीयो ने विशेष रूप से बताया था कि वे अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ कृपास से लैस होकर घटना स्थल पर आए थे और मृतक पर हमला

किया जिसके बाद वे भाग गये जो दर्शाता है कि अपीलार्थीयो का मृतक की मृत्यु कारित करने का सामान्य ईरादा था। **ई; 102-ई-जी**

आन्ध्रप्रदेश राज्य बनाम तक्कीदीराम रेड्डी वगैरह **1998 6 उच्चतम न्यायालय मामले 554** एवं रामजी सिंह वगैरह बनाम बिहार राज्य **2001 9 एस-सी-सी- 528** पर निर्भर शमेन साहेब एम- मुलतानी बनाम कर्नाटक राज्य **2001,2 उच्चतम न्यायालय मामले 577**, आत्माराम जिंगाराजी बनाम महाराष्ट्र राज्य] **1997 सी-एल-जे- 4406** और रुपाराम बनाम राजस्थान राज्य **1999 सी-एल-जे- 2901** विख्यात।

1.2 दोनों प्रत्यक्षदर्शी गवाह लगातार पुलिस के साथ&साथ न्यायालय में दिये गये बयानों से लगातार अभियोजन पक्ष का समर्थन करते रहे हैं। वर्तमान मामले में जैसा कि पंजाब पुलिस नियम का नियम 24.1 के तहत् आवश्यक है धारा 154 दण्ड़ प्रक्रिया संहिता के तहत् प्राप्त जानकारी का सार दैनिक डायरी में दर्ज किया गया है लेकिन जहाँ गवाहों के नामों के संबंध है उनका खुलासा नहीं किया गया है। यह कहा जा सकता है कि दण्ड़ प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के साथ-साथ नियमों के नियम 24.1 के तहत् दैनिक डायरी में जो उल्लेख किया जाना आवश्यक है वह प्राप्त जानकारी का सार है और इसे हर चीज का संग्रह नहीं कहा जा सकता है ए से बी अपीलार्थीयो सहित चार अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा मृतक क हत्या का तथ्य विशेष रूप से दर्ज किया गया है। यदि गवाहों के नामों का उल्लेख

नहीं किया गया है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि प्राप्त जानकारी का सार दर्ज नहीं किया गया था और नियमों के नियम 24.1 के साथ पठित धारा 154 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था। दैनिक डायरी के साथ&साथ मुर्दाघर रजिस्टर में गवाहों के नामों का खुलासा न करना] वास्तव में] अभियोजन पक्ष के मामले को अधिक प्रभावित नहीं कर सकता है] क्योंकि उनके नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में ही प्रकट किए गए हैं और अभियोजन पक्ष के मामले की सत्यता के बारे में संदेह पैदा करने के लिए कोई अन्य परिस्थिति नहीं है। यह स्थिति होने के कारण] पीडबल्यू 2 और 3 के साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं है। **98& बी] जी] एच] 99&ए&बी**

1.3 चिकित्सकीय साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करता है कि मृतक पर अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा 'कृपाण' से हमला किया गया था **(98 बी)**

1.4 वर्तमान मामले में पीडबल्यू 7 के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, कांस्टेबल ने कहा कि मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देने से पहले उसने इसकी प्रति छह बजे दी थी। अन्य स्थानो पर, प्रति संबंधित मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देने में कोई देरी नहीं हुई, बल्कि उसे बहुत जल्दी भेज दिया गया और वितरित कर दिया गया । इसके अलावा, भले ही मजिस्ट्रेट को विशेष रिपोर्ट भेजने

में कोई देरी हो, जो अकेले अभियोजन मामले को प्रभावित नही कर सकती है, अगर वह अन्यथा भरोसेमन्द पाई जाती है। **(99 डी,ई,एफ)**

1.5 बचाव पक्ष का मामला अपीलार्थी को चोट के रूप में अविश्धसनीय है- अभियुक्त 'जी को चोट सतही थी और वर्तमान मामले में बचाव करने के लिए ग्यारह दिनों की अत्यधिक देरी के बाद उनके द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी। **(96- बी, सी)**

2.1 मुद्दा यह है कि अपीलार्थी 'एम' घटना की तारीख को एक किशोर था न तो अधीनस्थ न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया था। लेकिन ऐसी स्थिति में अंततः इस न्यायालय को पहले अभियुक्त की सजा की वैधता या अन्यथा पर विचार करना चाहिए और यदि सजा बरकरार रखी जाती है तो विचारण न्यायालय रखी जाती है तो विचारण न्यायालय से इस बिंदु पर एक रिपोर्ट मांगी जानी चाहिए कि क्या अभियुक्त किशोर था। घटना की तारीख और रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि यह पाया जाता है कि अभियुक्त उस तारीख को किशोर था और अब भी है तो उसे किशोर गृह भेजा जाएगा। लेकिन यदि यह पाया जाता है कि घटना की तारीख को वह किशोर था] लेकिन जिस तारीख को यह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिपोर्ट पर अंतिम आदेश पारित कर रहा है तो वह अब किशोर नहीं रहेगा] उसके विरुद्ध दी गई सजा को रद्द कर दिया जायेगा। **103&जी] एच] 104&ए**

2.2 वर्तमान मामले में अपीलार्थी 'एम' की दोषसिद्धि पहले की बरकरार है] लेकिन घटना की तारीख को निचली अदालत से उसकी उम्र के संबंध में एक रिपोर्ट मंगाना न्यायसंगत और समीचीन होगा कि क्या घटना की तारीख को यह अपीलार्थी किशोर न्याय अधिनियम] 1986 की धारा 2 एच के अर्थ के भीतर किशोर था। निचली अदालत दोनों पक्षों को इस मुद्दे पर साक्ष्य पेश करने का अवसर देगी। **104&सी] डी] 104&एफ**

भूप राम बनाम यू- पी- राज्य] **1989, 3 एस-सी-सी- 1] संदर्भित।**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं- 711/1995

पंजाब और हरियाणा के 28.7.93 दिनांकित निर्णय और आदेश से 1991 के डी. बी. सं. 494 में उच्च न्यायालय।

के साथ

सीआरएल। 1995 का ए. सं. 710।

सुशील कुमार और पी- एस- मिश्रा] सुचित मोहंती और शिवाशीष मिश्रा]

उपस्थित दलों की ओर से अरुण के- सिन्हा] राकेश सिंह और मुकेश कुमार सिन्हा।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था।

बी अन अगरवाल,J. इन दोनों अपीलों के अपीलकर्ताओं के साथ-साथ आरोपी भजन सिंह उर्फ हरभजन सिंह और मेहरबान सिंह को भारतीय दंड

संहिता की धारा 302(संक्षेप में भारतीय दण्ड संहिता) के तहत एक मामले में आरोपी बनाया गया था,लेकिन चूंकि आरोपी मेहरबान सिंह की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई, इसलिए शेष तीन आरोपी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और अपने फैसले से निचली अदालत ने आरोपी भजन सिंह उर्फ हरभजन सिंह को बरी कर दिया, जबकि इन दोनों अपीलकर्ताओं को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास और रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। 2,000/- प्रत्येक को, अन्यथा छह महीने की अवधि के लिए अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपी हरभजन सिंह को बरी करने के आदेश के खिलाफ, राज्य द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गई, जबकि अपीलकर्ताओं द्वारा अपील दायर करने पर, उच्च न्यायालय ने उनकी दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की। सजा बढ़ाने के लिए निजी अभियोजक की ओर से दायर पुनरीक्षण आवेदन को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

अभियोजन का मामला, संक्षेप में, यह था कि कुलजीत सिंह उर्फ बिल्ला आर्य कॉलेज, लुधियाना में बीए पार्ट । का छात्र था और वह धारा 307 के तहत अपीलकर्ता गुरप्रीत सिंह के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए दायर मामले में गवाह था जो कि आई.पी.सी. विचाराधीन था। 22 जनवरी, 1990 को शाम लगभग 5.30 बजे, कुलजीत सिंह अपने भाई हरविंदर सिंह और दोस्तों परमिंदर सिंह (पीडब्लू 2) और गुरविंदर सिंह (पीडब्लू 3) के

साथ गुरु अंगद देव कॉलेज से कक्षाएं लेने के बाद अपने घर लौट रहे थे और जब वे पहुंचे ओरिएंटल पब्लिक स्कूल के पास, अपीलकर्ताओं ने आरोपी मेहरबान सिंह के साथ, जो कृपाण से लैस होकर वहां मौजूद थे, उनका सामना किया। अपीलकर्ता गुरप्रीत सिंह चिल्लाया कि कुलजीत सिंह को मौत के घाट उतार दिया जाना चाहिए और उसने उसके सिर पर कृपाण से हमला किया। इसके बाद, अपीलकर्ता मोहिंदर पाल सिंह उर्फ विक्की ने कुलजीत सिंह के पेट में कृपाण से वार किया। आरोपी मेहरबान सिंह ने उसके कनपटी पर कृपाण से हमला किया, जिससे कुलजीत सिंह गिर गया। इसी बीच, आरोपी हरभजन सिंह जो कृपाण से लैस था, वहां आया और उसने कुलजीत सिंह के माथे पर कृपाण से वार किया। इसके बाद उपरोक्त सभी आरोपियों ने कुलजीत सिंह को गिरने के बाद भी कई चोटें पहुंचाईं। चोटें पहुंचाने की प्रक्रिया में, अपीलकर्ता गुरप्रीत सिंह को भी सह-अभियुक्तों में से एक के हाथों चोटें लगीं। हल्ला मचाने पर मोहल्ले के लोग आ गए जिसके बाद आरोपी भाग गए। कुलजीत सिंह को पीडब्लू 3 और हरविंदर सिंह द्वारा क्रिश्चियन मेडिकल अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद, हरविंदर सिंह, जो मृतक कुलजीत सिंह का भाई था, पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हुआ, लेकिन ब्राउन रोड पर, क्रिश्चियन मेडिकल अस्पताल के पास, उसकी मुलाकात सब इंस्पेक्टर बख्शीश सिंह (पीडब्लू 8) से हुई, जिन्होंने उपरोक्त तथ्यों को बताते हुए

अपना बयान दर्ज किया और भेज दिया। उसी पुलिस स्टेशन में जहां अपीलकर्ताओं सहित उपरोक्त सभी चार आरोपियों के खिलाफ उसी दिन शाम 7.15 बजे मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू की और उसके पूरा होने पर आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। जिसकी प्राप्ति पर, विद्वान मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया और अपीलकर्ताओं सहित उपरोक्त सभी आरोपी व्यक्तियों को मुकदमे का सामना करने के लिए सत्र न्यायालय में भेज दिया। चूंकि अभियुक्त मेहरबान सिंह की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई, इसलिए शेष तीन अभियुक्तों के खिलाफ भी यही कार्यवाही की गई।

आरोपी व्यक्तियों का बचाव यह था कि वे निर्दोष थे और उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया था। अपीलकर्ताओं का विशिष्ट बचाव यह था कि जब वे अपीलकर्ता गुरप्रीत सिंह की दुकान पर जा रहे थे और वर्तमान घटना के समय जेल रोड पर पहुंचे, तो कुलजीत सिंह और उनके भाई उपकार सिंह एक अज्ञात व्यक्ति के साथ विपरीत दिशा से आ रहे थे और उनमें से, कुलजीत सिंह ने अपने साथियों से अपीलकर्ता गुरप्रीत सिंह को मारने के लिए कहा, जिसके बाद कुलजीत सिंह और अन्य लोगों ने उसका पीछा किया और उसे घेर लिया और उनमें से उपकार सिंह ने गुरप्रीत सिंह पर चाकू से हमला कर दिया। इस बीच, अपीलकर्ता गुरप्रीत सिंह द्वारा हल्ला मचाने पर, ग्रामीण वहां पहुंचे जिन्होंने कुलजीत सिंह के साथ मारपीट की

और उपरोक्त तथ्यों को बताते हुए अपीलकर्ता गुरप्रीत सिंह द्वारा 3 फरवरी, 1990 को एक शिकायत दर्ज की गई क्योंकि गुरप्रीत सिंह अस्पताल में भर्ती थे।

मुकदमे के विचारण दौरान, अभियोजन पक्ष ने कुल आठ गवाहों से पूछताछ की, जिनमें से डॉ. आईपीएस सिंह छाबड़ा (पीडब्लू 1) वह डॉक्टर थे जिन्होंने मृतक के शव का पोस्टमॉर्टम किया था। परमिंदर सिंह (पीडब्लू 2) और गुरविंदर सिंह (पीडब्लू 3) ने घटना के प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा किया। हेड कांस्टेबल बलबीर सिंह (पीडब्लू 4) और कांस्टेबल मंजीत सिंह (पीडब्लू 5), गुरचरण सिंह (पीडब्लू 6) और लखबीर सिंह (पीडब्लू 7) औपचारिक गवाह थे जबकि एसआई बख्शीश सिंह (पीडब्लू 8) जांच अधिकारी थे। सूचक हरविंदर सिंह से पूछताछ नहीं की जा सकी क्योंकि मुकदमा शुरू होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। बचाव पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में तीन गवाहों से पूछताछ की, अर्थात् डॉ.सुबोध रेडियन (डीडब्ल्यू 1), जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपीलकर्ता- गुरप्रीत सिंह, और तरसेम सिंह (डीडब्ल्यू 2) और ई.राय सिंह (डीडब्ल्यू 3) की चोटों की जांच की थी।) औपचारिक गवाह थे। मुकदमे के विचारण की समाप्ति पर, आरोपी हरभजन सिंह को बरी कर दिया गया, जबकि अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया गया और उच्च न्यायालय के समक्ष उनकी

अपील विफल हो गई, जैसा कि ऊपर कहा गया है, विशेष अनुमति द्वारा वर्तमान अपील।

वर्तमान मामले में, घटना के समय और स्थान पर अपीलकर्ताओं की उपस्थिति से इनकार नहीं किया गया है बल्कि स्वीकार किया गया है। कहा जाता है कि अपीलकर्ता गुरप्रीत सिंह की डॉक्टर [डीडब्ल्यू 1] ने जांच की थी, जिन्होंने कहा था कि उनके शरीर पर निम्नलिखित चोट पाई गई है:-

"छाती के पीछे बाईं ओर 8 वीं इंटरकोस्टल जगह पर मर्मज्ञ घाव, मध्य रेखा से 5 सेमी, 1-5 सेमी x 0.5 सेमी, बाएं हेओफ्यूमेथ्रोक्स के साथ गहराई का पता नहीं लगाया गया है।"

चोट के आयाम से ऐसा प्रतीत होता है कि यह सतही थी, यहाँ तक कि डॉक्टर के अनुसार, इसकी गहराई का भी पता नहीं लगाया जा सका। अपीलकर्ता गुरप्रीत सिंह द्वारा शिकायत याचिका 3 फरवरी, 1990 को, यानी घटना की तारीख के ग्यारह दिन बाद दायर की गई थी और देरी का कारण यह बताया गया था कि उक्त अपीलकर्ता को 3 फरवरी, 1990 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। डॉक्टर (डीडब्ल्यू 1) ने कहा कि अपीलकर्ता गुरपीत सिंह पूरे समय होश में रहा, लेकिन फिर भी, कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया कि घटना के बाद ग्यारह दिनों की अवधि तक इस अपीलकर्ता या उसके किसी भी रिश्तेदार द्वारा शिकायत दर्ज क्यों नहीं की गई। ऐसा प्रतीत होता है कि चोट सतही थी और वर्तमान मामले में बचाव

करने के लिए ग्यारह दिनों की अत्यधिक देरी के बाद शिकायत दर्ज की गई थी।

डॉक्टर [पीडब्लू 1], जिन्होंने कुलजीत सिंह के शव का पोस्टमॉर्टम किया, निम्नलिखित चोटें पाई गईं: -

1. माथे के बाईं ओर 5x1 x गहरी हड्डी का घुमावदार चीरा हुआ घाव, नाक के पुल से बाएं कान तक फैला हुआ। नीचे की हड्डी यानी ललाट और नाक की हड्डी कटी हुई थी।

2. दाहिनी ओर माथे पर गहरा 2" x 1/2" x हड्डी का कटा हुआ घाव।

3. दाहिने गाल पर आंख के पार्श्व कोण से कान की ओर नीचे की ओर फैला हुआ 3" x 1/2" x हड्डी के नीचे गहरा घाव काटा गया था।

4. दाहिनी ओर पार्श्विका पश्चकपाल पर 4" x 1/2" x खोपड़ी पर गहरा घाव।

5. कटा हुआ घाव 2"ऊपरी होठ पर गहरी हडडी कटी हुयी और उसके नीचे के दांत यानी दोनों कृंतक और कैनाइन टूटे हुए हैं।

6. दाहिने कंधे के शीर्ष पर क्षत-विक्षत चोट 2" x 1/2"।

7. बाएं कंधे के शीर्ष पर घिसा हुआ घाव 4" x 2"।

8. पामर पहलू पर दाहिने अंगूठे पर 1/2 x1/2 x गहरी हड्डी कटी हुई थी। नीचे की हड्डी टूट गई थी।

9. बायीं पार्श्विका की हड्डी पर 4" x 3/4" का कटा हुआ घाव, हड्डी के नीचे की गहराई तक की हड्डी टूट गई थी।

10. चार कटे हुए घाव 3/4x1/3 पीठ पर अण्डाकार आकार, बाईं ओर स्कैपुला की नोक से 5" नीचे। दोनों किनारे कटे हुए हैं।

11. बाएं सुप्रा स्कैपुलर क्षेत्र पर घिसा हुआ संलयन 3x1/4"

12. कटा हुआ घाव 3/4x1/3 अण्डाकार आकार, दोनों किनारे दाएं स्मृति क्षेत्र पर निपल के पार्श्व में कटे हुए हैं। खोजबीन करने पर नीचे की मांसपेशियाँ और हड्डियाँ कटी हुई थीं। फेफड़े का आकार काटा गया है 3/4x1/3 वक्षस्थल रक्त से भर गया यानी लगभग एक लीटर रक्त।

13. कटा हुआ घाव 3/4x1/3 एपिजेस्ट्रियम पर, अण्डाकार घाव जिसके दोनों किनारे कटे हुए थे और जांच करने पर लीवर पर घाव था 3/4x1/3 पेरिटोनियल गुहा में लगभग एक लीटर रक्त था।

14. कटा हुआ घाव 3/4x1/3 छाती के बाईं ओर 3" नीचे और निपल के मध्य में और बाएं फेफड़े पर खोज करने पर घाव था। फोरेंसिक गुहा में लगभग एक लीटर रक्त था। भाग में रक्त और अण्डाकार दोनों किनारे कटे हुए थे।

15. कटा हुआ घाव >"x?"छाती के बायीं ओर अण्डाकार आकार में 6" नीचे और पार्श्व में निपल तक। खोजबीन करने पर बायां फेफड़ा 3/4x1/3 क्षेत्र में घायल हो गया था।

16. कटा हुआ घाव 3/4x1/3 आकार में अण्डाकार और दोनों किनारे कटे हुए थे और पेट के बायीं ओर नाभि के ठीक पार्श्व से ओमेंटम बाहर निकल रहा था।

17. कटा हुआ घाव 3/4x1/3 आकार में अण्डाकार.दोनों किनारे पेट के बायीं ओर चोट संख्या से 1" ऊपर कटे हुए थे। घाव से ओमेंटम बह रहा था। अन्वेषण करने पर पेरिटोनियम गुहा में रक्त होता है। छोटी आंत दो जगह जख्मी हो गयी.आकार >"x" था।

18. दाहिने घुटने के जोड़ पर क्षत-विक्षत चोट 3 x1/2।

19. बाएं पैर के पार्श्व पहलू पर निचले तीसरे भाग पर क्षत-विक्षत चोट 3" x 1/2"। पेट में लगभग 80 सीसी अर्ध-पचा हुआ भोजन था। मूत्राशय स्वस्थ एवं खाली था। बड़ी आंत स्वस्थ थी और इसमें गैसें और मल पदार्थ मौजूद थे। दिल वर्णित और खाली. अन्य सभी अंगों का वर्णन किया गया। तिल्ली और गुर्दे स्वस्थ थे। पीढ़ी के अंग स्वस्थ थे.अन्य सभी अंग जिनका वर्णन नहीं किया गया है वे स्वस्थ थे।

डॉक्टर ने कहा कि मृतक की मृत्यु फेफड़ों और यकृत पर चोटों के संचयी प्रभाव के परिणामस्वरूप हुई और ये प्रकृति के सामान्य क्रम में

मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थे। उनके अनुसार, चोट संख्या 4, 6, 7, 11, 18 और 19 को कुंद हथियार से पहुंचाया जा सकता है जबकि अन्य तेरह चोटें कृपाण जैसे कटे हुए हथियार से दी गई हैं। जहां तक चोट संख्या 4,6,7,11,18 और 19 का सवाल है, पीडब्लू 3 ने जिरह के दौरान कहा कि मृतक के गिरने के बाद भी, उसे बचाने के लिए आरोपी व्यक्तियों द्वारा उस पर हमला किया गया था। वह खुद जमीन पर उछल रहा था और लोट रहा था। ऐसे में, उक्त चोटें उन्हें जमीन पर पटकने और लोटने के दौरान लगी होंगी। अन्य चोटें निर्विवाद रूप से कृपाण के कारण लगीं। इस प्रकार, चिकित्सीय साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करते हैं कि मृतक पर आरोपी व्यक्तियों द्वारा कृपाण से हमला किया गया था।

दो प्रत्यक्षदर्शी, परमिंदर सिंह (पीडब्लू 2) और गुरविंदर सिंह (पीडब्लू 3) ने पुलिस के साथ-साथ अदालत में दिए गए अपने बयानों में लगातार अभियोजन पक्ष का समर्थन किया है। उनके साक्ष्य पर हमले का आधार यह है कि न तो शवगृह रजिस्टर में और न ही दैनिक डायरी में [उदा.डीसी] उनके नामों का खुलासा किया गया। इस संबंध में, दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 154 का संदर्भ दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि संज्ञेय अपराध से संबंधित प्रत्येक जानकारी को प्रभारी पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित रूप में दिया जाएगा पुलिस स्टेशन और उसके बाद उसके सार को ऐसे अधिकारी द्वारा रखी जाने वाली पुस्तक में

ऐसे प्रारूप में दर्ज किया जाएगा जो राज्य सरकार इस संबंध में निर्धारित कर सकती है। राज्य सरकार द्वारा बनाए गए पंजाब पुलिस नियम, खंड III, 1959 संस्करण के नियम 24.1 के तहत, यह निर्धारित किया गया है कि रिपोर्ट का सार दैनिक डायरी में दर्ज किया जाएगा। नियम का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक जानकारी को उस धारा में दिए गए अनुसार लिखित रूप में लिखा जाना चाहिए और उसका सार पुलिस स्टेशन की दैनिक डायरी में दर्ज किया जाना चाहिए, जो कि प्रदान की गई पुस्तक है इस उद्देश्य के लिए। यह केवल ऐसी जानकारी है जो उस पुलिस अधिकारी के अधिकार क्षेत्र के भीतर संज्ञेय अपराध होने का उचित संदेह पैदा करती है जिसे यह दिया गया है जो धारा 157, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई के लिए मजबूर करती है।

वर्तमान मामले में, जैसा कि उपरोक्त नियमों के तहत आवश्यक है, धारा 154 सीआरपीसी के तहत प्राप्त जानकारी का सार दैनिक डायरी में दर्ज किया गया है जिसे एक्स.डीसी के रूप में चिह्नित किया गया है जिसमें सभी चार आरोपियों और मृतकों के नाम हैं उल्लेख किया गया है लेकिन जहां तक गवाहों के नामों का सवाल है, इसका खुलासा नहीं किया गया है। यह कहा जा सकता है कि संहिता की धारा 154 के साथ-साथ ऊपर

उल्लिखित नियमों के नियम 24.1 के तहत, दैनिक डायरी में जो उल्लेख किया जाना आवश्यक है वह प्राप्त जानकारी का सार है और इसे हर चीज का भंडार नहीं कहा जा सकता है। .अपीलकर्ताओं सहित चार आरोपी व्यक्तियों द्वारा कुलजीत सिंह की हत्या के तथ्य विशेष रूप से दर्ज किए गए हैं। यदि गवाहों के नामों का उल्लेख नहीं किया गया है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि प्राप्त जानकारी का सार दर्ज नहीं किया गया था और नियमों के नियम 24.1 के साथ पठित धारा 154 के प्रावधानों का उल्लंघन था। दैनिक डायरी के साथ-साथ मुर्दाघर रजिस्टर में गवाहों के नाम का केवल गैर-खुलासा, वास्तव में, अभियोजन पक्ष को अधिक प्रभावित नहीं कर सकता है, जब उनके नाम पहली सूचना रिपोर्ट में ही प्रकट किए गए हैं और अन्यथा कोई अन्य परिस्थिति नहीं है अभियोजन मामले की सत्यता के संबंध में संदेह पैदा करना। यह स्थिति होने के कारण, हमें पीडब्लू 2 और 3 के साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं मिलता है।

अपीलकर्ता गुरप्रीत सिंह की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सुशील कुमार ने प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि विद्वान मजिस्ट्रेट को भेजने में अत्यधिक देरी हुई क्योंकि मामला 22 जनवरी, 1990 को शाम 7.15 बजे दर्ज किया गया था लेकिन पहली सूचना रिपोर्ट संबंधित मजिस्ट्रेट के पास उसी रात 0002 बजे पहुंच गई। इस संबंध में, कांस्टेबल लखबीर सिंह (पीडब्लू 7) के साक्ष्य का संदर्भ लिया जा

सकता है, जिन्होंने कहा था कि वर्तमान मामले की विशेष रिपोर्ट संबंधित मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों को सौंपने के लिए उन्हें रात 8 बजे सौंपी गई थी। उन्होंने आगे कहा कि सबसे पहले, उन्होंने सिटी कंट्रोल रूम, पुलिस अधीक्षक (शहर), पुलिस उपाधीक्षक (शहर), पुलिस उपाधीक्षक (जासूस), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लुधियाना को रिपोर्ट की प्रति दी। , जिला नियंत्रण कक्ष और अंत में संबंधित मजिस्ट्रेट को। चूंकि मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देने से पहले, उसने इसकी प्रति छह अन्य स्थानों पर पहुंचाई थी, इसलिए रिपोर्ट रात के दौरान 0002 बजे संबंधित मजिस्ट्रेट को दी जा सकी, जिससे पता चलता है कि इस गवाह ने रिपोर्ट देने में चार घंटे का समय लिया है। मजिस्ट्रेट. वर्तमान मामले में, हमें नहीं लगता कि संबंधित मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट सौंपने में कोई देरी हुई थी, बल्कि इसे बहुत ही तुरंत भेजा गया और विद्वान मजिस्ट्रेट को सौंप दिया गया। इसके अलावा, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि भले ही मजिस्ट्रेट को विशेष रिपोर्ट भेजने में कोई देरी हो, लेकिन वह अकेले अभियोजन मामले को प्रभावित नहीं कर सकती है, अगर वह अन्यथा भरोसेमंद पाई जाती है।

विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराना अनुचित है क्योंकि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि दोनों अपीलकर्ताओं में से किसी ने भी घातक चोट पहुंचाई है। यह आगे

प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा, सामान्य इरादे को साझा करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 के साथ पढ़ी गई धारा 302 के तहत उनकी सजा को नहीं बदला जा सकता है क्योंकि धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के साथ पढ़ी गई धारा 302 के तहत कोई आरोप तय नहीं किया गया था, लेकिन आरोप धारा के तहत तय किया गया था। 302 भारतीय दण्ड संहिता सरलीकृत। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्चतम स्तर पर, अपीलकर्ताओं को खतरनाक हथियारों से मृतक को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326 के तहत इस न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जा सकता है। इस संबंध में शमन साहब एम. मुल्तानी बनाम कर्नाटक राज्य (2001) 2 सुप्रीम कोर्ट केस 577 के मामले में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा किया गया था। उस मामले में, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप तय किया गया था और आरोपी व्यक्तियों को विचारण न्यायालय ने बरी कर दिया था। जब मामले को राज्य द्वारा अपील में ले जाया गया, तो उच्च न्यायालय ने बरी करने के आदेश को पलट दिया, लेकिन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-बी के तहत आरोपी को दोषी ठहराया, जिसे इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 464 के प्रावधानों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने निर्धारित किया कि आरोप तय करने में चूक या अनियमितता होने पर

भी दोषसिद्धि वैध होगी, बशर्ते इससे न्याय की विफलता न हो उक्त मामले में, अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-बी के तहत आरोप तय न करने से न्याय में विफलता हुई और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आरोपी को पूर्वाग्रह से ग्रसित किया गया कि साक्ष्य की धारा 113-बी के तहत अधिनियम के अनुसार, अभियुक्त के विरुद्ध एक वैधानिक धारणा थी जिसका वह खंडन करने का हकदार था और आरोप के अभाव में खंडन का ऐसा कोई अवसर उसे प्रदान नहीं किया गया था। यह स्थिति होने पर, इस न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-बी के तहत दोषसिद्धि को रद्द कर दिया, मामले को विचारण न्यायालय में भेज दिया और उसे बचाव साक्ष्य के चरण से आगे बढ़ने का निर्देश दिया। इसलिए, उक्त निर्णय काफी अलग है और वर्तमान मामले में इसका कोई अनुप्रयोग नहीं है।

राज्य की ओर से, एपी राज्य बनाम थक्कीदिराम रेड्डी और अन्य, (1998) 6 सुप्रीम कोर्ट केस 554 के मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय का संदर्भ दिया गया था, जिसमें मामले में धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप तय किया गया था लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा ग्यारह आरोपियों को धारा 302/149 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषी ठहराया गया था। जब मामला उच्च न्यायालय में ले जाया गया, तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/149 के तहत एक आरोपी की सजा

बरकरार रखी गई, लेकिन अन्य सभी दस आरोपियों की सजा पलट गई और उन्हें आरोप से बरी कर दिया गया। दस आरोपियों को बरी करने के आदेश के खिलाफ, आंध्र प्रदेश राज्य ने इस न्यायालय के समक्ष अपील दायर की, जबकि जिन आरोपियों की सजा को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था, उन्होंने भी अपील दायर की। इस न्यायालय ने विली (विलियम) स्लेनी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 1956 सुप्रीम कोर्ट 116 के मामले में संविधान पीठ के फैसले का पालन करते हुए दोषसिद्धि के आदेश को बरकरार रखा, लेकिन दस में से पांच आरोपियों को बरी करने के फैसले को पलट दिया और उनकी सजा बहाल कर दी। विचारण न्यायालय द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/149 के तहत दोषसिद्धि दर्ज की गई संहिता की धारा 464 और 465 के प्रावधानों पर विचार करने के बाद, यह निर्धारित किया गया कि जब तक यह गवाहों के साक्ष्य के साथ-साथ संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्त के बयान से नहीं दिखाया जा सकता कि विफलता हुई थी न्याय और इस प्रकार अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह था, अपीलीय अदालत द्वारा अभियुक्त को धारा 302/149 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराने से इनकार करना उचित नहीं होगा क्योंकि आरोप धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत तय किया गया था, न कि धारा 302/149 भारतीय दण्ड संहिता के तहत। अदालत ने पैरा 10-11 में कहा, जो इस प्रकार है:-

"10.आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'कोड') की धारा 464 की उप-धारा (1) स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि कोई निष्कर्ष, सजा या आदेश नहीं दिया जाएगा। सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा इसे केवल इस आधार पर अमान्य माना जाएगा कि कोई आरोप तय नहीं किया गया था या आरोप में किसी त्रुटि, चूक या अनियमितता के आधार पर, जिसमें आरोपों का गलत संयोजन भी शामिल है, जब तक कि अपील न्यायालय की राय में पुष्टि न हो। या पुनरीक्षण, वास्तव में न्याय की विफलता उत्पन्न हुई है (जोर दिया गया है)। उक्त धारा की उप-धारा (2) उस प्रक्रिया को निर्धारित करती है जिसका पालन अपील, पुष्टि या पुनरीक्षण न्यायालय को करना होता है। राय है कि वास्तव में न्याय की विफलता हुई है। हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक अन्य धारा 465 है संहिता का; और इसमें कहा गया है कि सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा पारित किसी भी निष्कर्ष, सजा या आदेश को कार्यवाही में किसी त्रुटि, चूक या अनियमितता के कारण अपील, पुष्टि या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा उलट या परिवर्तित नहीं किया जाएगा, जब तक कि इसकी राय न हो। उस न्यायालय में,

वास्तव में न्याय की विफलता उत्पन्न हुई है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान है कि यह निर्धारित करने में कि क्या इस संहिता के तहत किसी भी कार्यवाही में किसी त्रुटि, चूक या अनियमितता के कारण न्याय में विफलता हुई है, न्यायालय को इस तथ्य पर ध्यान देना होगा कि क्या आपत्ति कार्यवाही में शीघ्र स्तर पर पहले उठाई जा सकती थी और उठायी जानी चाहिए थी।

11. विली (विलियम) स्लेनी बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में इस न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 535 और 537 की प्रयोज्यता पर विस्तार से चर्चा की, जो क्रमशः संहिता की धारा 464 और 465 के अनुरूप हैं, और माना कि अपराध के रूप में पूर्वाग्रह के किसी प्रश्न का निर्णय करते समय, अदालतों को व्यापक दृष्टि से कार्य करना चाहिए और तकनीकी पहलुओं को नहीं बल्कि सार को देखना चाहिए, और उनकी मुख्य चिंता यह देखना चाहिए कि क्या अभियुक्त की निष्पक्ष सुनवाई हुई थी, क्या वह जानता था कि वह क्या है के लिए प्रयास किया जा रहा है, क्या उसके खिलाफ स्थापित किए जाने वाले मुख्य तथ्यों को उसे निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से समझाया गया था और क्या उसे खुद का बचाव करने का पूर्ण और निष्पक्ष मौका दिया गया था। इस न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणियों के संदर्भ में देखने पर हम यह मानने में असमर्थ हैं कि श्री

अरुणाचलम द्वारा बताए गए आरोपों में त्रुटियों और चूक के कारण आरोपी व्यक्ति किसी भी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। इस तथ्य के अलावा कि नीचे दिए गए किसी भी न्यायालय में इस बिंदु पर कोई हलचल नहीं हुई, इस तथ्य से कि अभियोजन पक्ष के महत्वपूर्ण गवाहों (जिन्होंने पूरी घटना के बारे में बताया) की सभी संभावित कोणों से विस्तार से जांच की गई और जो सुझाव सामने रखे गए प्रत्यक्षदर्शी हम इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हैं कि आरोपी व्यक्ति अपने बचाव में किसी भी तरह से पूर्वाग्रस्त नहीं थे। जबकि इस बिंदु पर हम यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि संहिता की धारा 313 के तहत उनकी जांच में, आरोपी व्यक्तियों को विशेष रूप से धारा 148 और 302/149 भारतीय दण्ड संहिता के तहत उनके (अन्य के अलावा) अपराध करने के बारे में बताया गया था। इन सभी कारणों से हम श्री अरुणाचलम के प्रारंभिक विवाद को अस्वीकार करते हैं।

इसके अलावा, इसे इस न्यायालय ने रामजी सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य (2001) 9 सुप्रीम कोर्ट केस 528 के मामले में दोहराया है, जिसमें धारा 302 के तहत भी आरोप तय किया गया था, लेकिन धारा 302 के साथ सपठित धारा 34 धारा 302 के साथ सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत सजा दी गई थी और यह निर्धारित किया गया कि धारा 302 के साथ सपठित धारा 34 धारा 302 के साथ सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषसिद्धि आवश्यक थी क्योंकि

आरोपी व्यक्ति ने पीड़ित की मृत्यु का सामान्य इरादा साझा किया था और धारा 302 के साथ सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप तय न होने के कारण उनके साथ कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ था।

वर्तमान मामले में, यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी व्यक्ति केवल इसलिए पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे क्योंकि आरोप भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत सरलता से तय किया गया था और 302 के साथ सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत कोई आरोप तय नहीं किया गया था। दो चश्मदीद गवाहों, अर्थात् पीडब्ल्यू 2 और 3 के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि आरोपी व्यक्तियों ने पीड़ित की मृत्यु का सामान्य इरादा साझा किया था। उनसे सभी संभावित कोणों से विस्तार से जिरह की गई और प्रत्यक्षदर्शियों के सामने रखे गए सुझावों से हम पूरी तरह संतुष्ट हैं कि आरोपी व्यक्ति अपने बचाव में किसी भी तरह से पूर्वाग्रहग्रस्त नहीं थे। इसके अलावा, संहिता की धारा 313 के तहत उनकी जांच में, अपीलकर्ताओं को विशेष रूप से बताया गया था कि वे अन्य आरोपियों के साथ कृपाण से लैस होकर घटना स्थल पर आए और मृतक पर हमला किया और उसके बाद वे भाग गए, जिससे पता चलता है कि अपीलकर्ताओं का मृतक की मृत्यु कारित करने का इरादा समान था।

इस संबंध में अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने आत्माराम झिंगाराजी बनाम महाराष्ट्र राज्य 1997 क्रिमिनल लाल जर्नल

4406 के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है, जिसमें नौ आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/149 के तहत आरोप तय किया गया था। जिन्हें विचारण न्यायालय ने बरी कर दिया था और जब महाराष्ट्र राज्य ने अपील की, तो उच्च न्यायालय ने आठ आरोपियों को बरी करने का फैसला बरकरार रखा, लेकिन नौवें आरोपी को बरी करने के फैसले को पलट दिया और उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया। सजा के आदेश के खिलाफ, आरोपी ने इस अदालत का रुख किया और धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत उसकी सजा को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि उसने घातक चोट पहुंचाई थी और उसे धारा 302/149 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। चूँकि अन्य आठ अभियुक्तों को बरी कर दिया गया और उनकी रिहाई को अंतिम रूप दिया गया। हालाँकि, इस अदालत ने आरोपी को मृतक को गंभीर चोट पहुँचाने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326 के तहत दोषी ठहराया। इसी तरह, रूपा राम बनाम राजस्थान राज्य 1999 क्रिमिनल लॉ जर्नल 2901 के मामले में तीन आरोपियों पर धारा 302 के तहत आरोप लगाए गए थे और उनमें से दो को विचारण न्यायालय ने बरी कर दिया था और एक व्यक्ति को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया था और उसकी सजा रद्द कर दी गई थी। उच्च

न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया। जब मामला इस न्यायालय में लाया गया, तो यह पाया गया कि इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा पहुंचाई गई चोट को घातक नहीं कहा जा सकता है, इसलिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत उसकी सजा अनुचित थी और इसे विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए खारिज कर दिया गया था। तथ्य यह है कि उन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता था क्योंकि अन्य दो आरोपी व्यक्तियों को पहले ही विचारण न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया था और उनकी रिहाई अंतिम हो गई थी। इन परिस्थितियों में, इस अदालत ने आरोपी को मृतक को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326 के तहत दोषी ठहराया। हमारे विचार में, उपरोक्त दोनों मामलों का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है। ऊपर दिए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत अपीलकर्ताओं की सजा को धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार घातक चोट के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

श्री प्रभा शंकर मिश्रा, विद्वान वरिष्ठ वकील, 1995 की आपराधिक अपील संख्या 710 के समर्थन में उपस्थित हुए, इसके अलावा अपीलकर्ता

मोहिंदर पाल सिंह की योग्यता के आधार पर दोषसिद्धि को चुनौती दी, जिसे हम पहले ही निपटा चुके हैं, उन्होंने प्रस्तुत किया कि कथित घटना की तारीख पर, वह थे किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 2 (एच) के अर्थ के तहत एक किशोर, उस तारीख तक उसने 16 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह मुद्दा विचारण न्यायालय या हाई कोर्ट के समक्ष नहीं उठाया गया था। लेकिन यह अच्छी तरह से स्थापित है कि ऐसी स्थिति में, इस न्यायालय को पहले अभियुक्त की दोषसिद्धि की वैधता या अन्यथा पर विचार करना चाहिए और यदि दोषसिद्धि को बरकरार रखा जाता है, तो विचारण न्यायालय से इस बिंदु पर एक रिपोर्ट मांगी जानी चाहिए कि क्या घटना की तारीख पर आरोपी किशोर था और रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि यह पाया जाता है कि आरोपी उस तारीख को किशोर था और अब भी है, तो उसे किशोर गृह भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर यह पता चलता है कि घटना की तारीख पर, वह किशोर था, लेकिन जिस तारीख को यह अदालत विचारण न्यायालय से प्राप्त रिपोर्ट पर अंतिम आदेश पारित कर रही है, वह अब किशोर नहीं रहेगा, उसके खिलाफ दी गई सजा होगी अलग रखे जाने योग्य.इस संबंध में भूप राम बनाम यूपी राज्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है। (1989) 3 सुप्रीम कोर्ट केस 1 जिसमें अपील के लिए विशेष अनुमति देते समय विचारण न्यायालय से

रिपोर्ट मांगी गई थी कि आरोपी किशोर था या नहीं, जिसने बताया कि आरोपी किशोर नहीं था। घटना की तारीख लेकिन यह अदालत, विचारण न्यायालय की रिपोर्ट से अलग होकर, इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जिस दिन अपराध किया गया था उस दिन आरोपी किशोर था और चूंकि इस अदालत के फैसले के दिन वह किशोर नहीं था, इसलिए सजा सुनाई गई उसके ख़िलाफ़ मामला खारिज कर दिया गया, हालाँकि दोषसिद्धि बरकरार रखी गई। वर्तमान मामले में, हमने पहले ही अपीलकर्ता - मोहिंदर पाल सिंह की सजा को बरकरार रखा है, लेकिन घटना की तारीख पर उसकी उम्र के संबंध में विचारण न्यायालय से रिपोर्ट मांगना उचित और समीचीन होगा।

तदनुसार, अपीलकर्ता - गुरप्रीत सिंह द्वारा दायर आपराधिक अपील संख्या 711/1995 विफल हो जाती है और उसे खारिज कर दिया जाता है। इस अपीलकर्ता, जो जमानत पर है, के जमानत बांड रद्द कर दिए गए हैं और उसे सजा की शेष अवधि काटने के लिए तुरंत हिरासत में लेने का निर्देश दिया गया है, जिसके लिए प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर इस न्यायालय को एक अनुपालन रिपोर्ट भेजनी होगी। इस आदेश की प्रति.अपीलकर्ता मोहिंदर पाल सिंह द्वारा दायर 1995 की आपराधिक अपील संख्या 710 में, विचारण न्यायालय से एक रिपोर्ट मांगी गई है कि क्या घटना की तारीख पर यह अपीलकर्ता किशोर न्याय अधिनियम की धारा 2 (एच) के अर्थ के तहत किशोर था, 1986? विचारण न्यायालय इस बिंदु पर

दोनों पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देगा। विचारण न्यायालय के सभी मूल रिकॉर्ड उसे वापस कर दिए जाएं। इस आदेश की प्राप्ति से तीन महीने की अवधि के भीतर रिपोर्ट और रिकॉर्ड इस न्यायालय को भेजे जाने चाहिए। विचारण न्यायालय से रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस अपील पर अंतिम आदेश पारित किया जाएगा।

आपराधिक अपील नं. 711/1995 खारिज

आपराधिक अपील नं. 710/1995 स्थगित

नोट- यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी हिमानी कच्छवाह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने में सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

धन्यवाद